कार्यालय कलेक्टर, जिला अनूपपुर (मध्य प्रदेश)

Telefax : 07659-222401 Email:dmanuppur@mp.nic.in,Website:www.anuppur.nic.in

क्रमांक– १५४५ /10/भू–अर्जन/2018 अनूपपुर, दिनांक– १९ अप्रैल, 2018

प्रति

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर
2. तहसीलदार, तहसील–अनूपपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय :– प्रस्तावित धनपुरी जलाशय योजना निर्माण के संबंध में अर्जित की जाने वाली भूमि के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं का प्रकाशन।

उपरोक्त विषय में लेख है कि तहसील–अनूपपुर में प्रस्तावित धनपुरी जलाशय योजना निर्माण हेतु भू–अर्जन किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमियों के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, समजिक समाघात, प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसायें प्राप्त हुई है, जो पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

भूमि–अर्जन पुनर्वासन तथा पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्मित अधिनियम, 2015 के नियम 08 के अनुसार उक्त रिपोर्ट एवं अनुशंसायें नोटिस बोर्ड तथा प्रभावित क्षेत्र में दृश्यमान स्थलों पर प्रकाशित की जानी है।

प्रकाशन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

कलेक्टर १९.४.
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक– १५४५ /10/भू–अर्जन/2018 अनूपपुर, दिनांक– १९ अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जिला अनूपपुर उपरोक्त प्रकाशन की सूचना समाचार के लिये दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अनूपपुर कृपया जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनूपपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
4. तहसीलदार, तहसील–अनूपपुर को प्रभावित क्षेत्र के सहज दृश्यमान स्थलों पर चस्पा कराने हेतु।

कलेक्टर १९.४
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

(प्रारूप–ग)
नियम–7

सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन प्रतिवेदन

कलेक्टर महोदय अनूपपुर के आदेश क्र. 1442 / 10 / भू–अर्जन / 2018 अनूपपुर दिनांक 10 / 04 / 2018 के द्वारा दिये गए निर्देशों के परिपालन में धनपुरी जलाशय योजना के निर्माण हेतु नामांकित विशेषज्ञ समूह के द्वारा आज दिनांक 17 / 04 / 2018 को 2.00 बजे अपरान्ह से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय मे एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में बी. एल. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग जैतहरी द्वारा सभी उपस्थित विशेषज्ञ समूह के सदस्यों को प्रतिवेदित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक–एक प्रति उपलब्ध करायी गई एवं उसका वाचन किया गया । तदुपरान्त विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा परियोजना के निर्माण एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में दर्शाए गए विन्दुओं पर आपसी चर्चा एवं बिचार–विमर्श किया गया।

विचारणोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत धनगवॉ के **ग्राम धनपुरी में धनपुरी जलाशय योजना** का निर्माण जनहितैशी एवं विकासोन्मुखी है। इसका निर्माण हो जाने से ग्राम चटुआ, मझगवॉ , धनपुरी , धनगवॉ एवं बम्हनी ग्राम के लोगों को पेयजल, निस्तार एव कृषि कार्यो में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी तथा गॉवों का भू–जल स्तर भी बढ़ जायेगा । सामाजिक समाघात निर्धारण के समय संबंधित ग्रामवासियों / भू–धारकों के द्वारा भी इस परियोजना का निर्माण जन हितैशी बताया गया था एवं किसी भी व्यक्ति ने बांध / नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन एवं नकारात्मक प्रभाव / विरोध मे कोई भी बात नही कही गयी थी बल्कि परियोजना के निर्माण की बात से लोगों के द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया था।

अतः विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित धनपुरी जलाशय योजना (बांध एवं नहर) के निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन एवं उसके निर्माण की अनुशंसा की जाती है।

(बी.एल.द्विवेदी)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग जैतहरी

तारावती
सरपंच
ग्राम पंचायत बम्हनी
जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

मुन्नीकोल
सरपंच
ग्राम पंचायत धनगवां
जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

(आर.एम.सिंह)
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, अनूपपुर

(सी.एम.शुक्ला)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
अनूपपुर(म.प्र.)

जे.पी.पाठक
संचालक
बृद्धाश्रम सीतापुर (अनूपपुर)
एवं अध्यक्ष विशेषज्ञ समूह